

—::— छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन —::—

-----प्रधान कार्यालय, एन-3, अंबति विहार, रायपुर-----

क्रमांक/छगवेका/स्था0/2013-14/

रायपुर, दिनांक-

:: आदेश ::

छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के संचालक मण्डल की 28वीं बैठक दिनांक 23.03.13 के प्रस्ताव एवं ठहराव क्रं0-28.09 में लिये गये निर्णय अनुसार - राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक-331 एफ 1003119/वित्त/नियम/चार/12 रायपुर दिनांक 19.10.2012 के अनुरूप निगम कर्मियों को त्यौहार अग्रिम की राशि रू. 2500/- से बढ़ाकर अधिकतम राशि रू. 8000/- करने की स्वीकृति दी गई है तथा इसे दिनांक 23.03.2013 से प्रभावशील किया गया है।

संचालक मण्डल के उक्त निर्णय के पालनार्थ निगम में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जाने वाले त्यौहार अग्रिम राशि रू. 2500/- से बढ़ाकर अधिकतम राशि रू. 8000/- करने की स्वीकृति दी जाती है।

02/ दिनांक 01 अप्रैल 2013 से लागू किया जाता है।

क्रमांक/छगवेका/स्था0/2013-14/ 4856
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

रायपुर दिनांक - 02 05-13
प्रबंध संचालक

01. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, रायपुर।
02. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, रायपुर।
03. प्रबंधक (लेखा), छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि इस निगम में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी को त्यौहार अग्रिम राशि रू. 2500/- से बढ़ाकर अधिकतम राशि रू. 8000/- तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
04. प्रबंधक(कार्मिक/वाणिज्य/तकनीकी), कार्यपालन यंत्री, छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
05. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, क्षेत्रीय कार्यालय-रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग।
06. भविष्य निधि/वेतन पत्रक शाखा, छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
07. समस्त शाखा प्रबंधक, छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, छत्तीसगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
08. मास्टर नस्ती हेतु।

प्रबंध संचालक

--: छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम --:
(प्रधान कार्यालय 22 आनन्द नगर रायपुर)

कमांक / छगवेका / स्था. / 2005 / 9941


रायपुर दिनांक 09.03.05

--:आदेश--:

कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 28.02.2005 के ठहराव कमांक 04.05 में लिये गये निर्णयानुसार निगम में कार्यरत नियमित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को त्योहार अग्रिम की राशि में संशोधन कर अग्रिम राशि रूपये 2500/- (रूपये दो हजार पाँच सौ) मात्र की जाती हैं।

1. उक्त अग्रिम राष्ट्रीय त्यौहार जैसे -15 अगस्त, 26 जनवरी तथा धार्मिक त्यौहार जैसे- होली, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद-उल-जुहा, ईद-उल-फितर, जन्माष्टमी, किसमिस-डे, इत्यादि पर देय होगा।
2. उक्त अग्रिम राशि दस समान किशतों में समायोजित की जायेगी।
3. वे सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पात्र होंगे, जिनकी सेवा अवधि 2 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो।
4. उक्त अग्रिम केलेन्डर वर्ष में केवल एक बार दिया जायेगा, बशर्ते पिछला अग्रिम शेष नहीं हो।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



प्रबंध संचालक

कमांक / छगवेका / स्था. / 2005 / 9941

रायपुर दिनांक 09.03.05

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम, मुख्यालय-रायपुर।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम, मुख्यालय रायपुर।
3. प्रबंधक (कार्मिक/तकनीकी/वाणिज्य/लेखा) छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम, मुख्यालय रायपुर।
4. अभियंता रायपुर बिलासपुर क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम, मुख्यालय रायपुर।
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम, मुख्यालय रायपुर।
6. सहायक प्रबंधक(लेखा)/वेतन शाखा/भविष्य निधि शाखा, मुख्यालय रायपुर।
7. समस्त उपयंत्रि छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम, (छत्तीसगढ़)
8. समस्त शाखा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम (छत्तीसगढ़)
9. मास्टर नस्ती।


प्रबंध संचालक